

DELHI STATE INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
N-36, Bombay Life Building, Connaught Place, New Delhi-110001
(Personnel Division)

No: DSIIDC/370001/1/2015-Estt-CAT.

Dated : 09-02-2017

CIRCULAR

Subject: **Enrolment of the Ex- employees and their dependants under the Insurance Backed Cashless Medical Scheme**


As all the serving and retired employees of the corporation are aware that DSIIDC had adopted the Insurance Backed Cashless Medical Scheme (IBCMS) with effect from 18.07.2012. The BOD vide its 263rd meeting held on 30-10-2016 agreed to extending a fresh opportunity/open up the scheme for all such retired employees including those who opted for voluntary retirement, who were not members of the IBCMS, or otherwise, against payment of one- time lump sum contribution as applicable for the scheme renewed w.e.f 18.7.2016. The benefit is subject to fulfilment of the below listed conditions:

- The employe should have completed 15 years of regular service for getting 100% benefit at par with the regular employees.
- The dependant family members of those deceased employees who had completed 15 yrs of regular service before death have been allowed to avail the facility at par with retired employees.

All such retired employees and their dependants who now wish to avail the benefits under IBCMS (for medical policy year i.e. w.e.f. 18-07-2017 and onwards) are requested to deposit the one time lump-sum contribution immediately and not later than 15-06-2017 (based on the respective last Grade Pay drawn by the employee) as indicated in the following table:

Category	Rates of one-time lump sum contribution (Employee including dependants)
Category 'C' Grade pay inclusive and below Rs. 4600/-	Rs. 36,000/-
Category 'B' Grade Pay from Rs. 4800/- to Rs. 5400/-	Rs. 48,000/-
Category 'A' Grade Pay inclusive and above Rs. 6600/-	Rs. 60,000/-

It may kindly be noted that mere remittance of the onetime lump sum contribution will not entitle the willing employees/dependants to avail the benefits of the IBCMS. The decision of the Competent Authority of DSIIDC would be final and binding in all respects.


(Prabhat Kumar)
Div. Manager (P)

Copy to:

- 1) All Notice Boards at HQ and site offices
- 2) Website of DSIIDC
- 3) All Individual retired employees

(कार्मिक विभाग)

नंबर: दि रा औ अ वि नि /३७०००१/१/२०१५-एस्ट- कैट

दिनांक ०९-०२-२०१७

परिपत्र

विषय : अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को नक्दीहीन बीमा चिकित्सा योजना में सम्मिलित होने के लिए नामांकन दर्ज करवाने हेतु]

इस परिपत्र के द्वारा सभी कार्यरत और अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि निगम के निर्देशक मंडल ने २६३ वीं बैठक, जो की दिनांक ३०.१०.२०१६ को हुई थी, उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है कि नक्दीहीन बीमा चिकित्सा योजना के अंतर्गत उन सभी अवकाशप्राप्त कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एक नया अवसर प्रदान किया जा रहा है , जिसमे की स्वैक्षिक अवकाशप्राप्त कर्मचारी भी शामिल हैं एवम् वो सभी जो नक्दीहीन बीमा चिकित्सा योजना के सदस्य नहीं थे इत्यादि , एक बारगी एकमुश्त निर्धारित योगदान का भुगतान जैसा की १८-०७-२०१६ से लागू है, देकर सदस्य बन सकते हैं यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के पालन के साथ संबंधित हैं :

- नियमित कर्मचारियों के बराबर १००% लाभ लेने के लिए, कर्मचारी को १५ साल की नियमित सेवा पूरी कर ली हो]
- मृतक कर्मचारियों (जो १५ साल की नियमित सेवा मृत्यु से पूर्व कर चुके थे) पर आश्रित परिवार के सदस्य को भी अवकाशप्राप्त कर्मचारियों के बराबर , इस लाभ को उठाने की सुविधा की अनुमति दी जाएगी

वो सभी अवकाशप्राप्त कर्मचारियों और उनपर आश्रित परिवार के सदस्यों से अनुरोध है, जो अब नक्दीहीन चिकित्सा बीमा योजना (चिकित्सा नीति साल १८-०७-२०१७ से आगेके समय में) का लाभ उठाना चाहते हैं, कि वो नीचे दी गयी तालिका में इंगित एकबारगी एकमुश्त योगदान की राशि (जोकि आपके तत्संबंधित आखिरी ग्रेड पे पर आधारित है) तुरंत या १५-०६-२०१७ तक जमा कराएं:

वर्ग	एकबारगी एकमुश्त राशि का योगदान (कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों समेत)
वर्ग "सी" ग्रेड पे ४६००/- और उससे नीचे	= रु: ३६,०००/-
वर्ग "बी" ग्रेड पे ४८००/- से ५४००/- तक	= रु: ४८,०००/-
वर्ग "ए" ग्रेड पे ६६००/- और उससे अधिक	= रु: ६०,०००/-

कृपया यह भी ध्यान दें कि केवल एकबारगी एकमुश्त योगदान की राशि के भेजने/ जमा कराने से ही, इच्छुक कर्मचारी/ आश्रित परिवार के सदस्य नक्दीहीन चिकित्सा बीमा योजना का लाभ उठाने के दावेदार नहीं हो जाएंगे, इस विषय पर निगम के प्राधिकारी के निर्णय सभी प्रकार से अंतिम और बाध्य होंगे।


(प्रभात कुमार)

विभागीय प्रबंधक (कार्मिक)

निगम के सभी कार्यालयों के सूचना पटल

सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित :

१. निगम की वेबसाइट
२. समस्त अवकाशप्राप्त कर्मचारी
और उनपर आश्रित परिवार के सदस्य